उत्तर प्रदेश शासन
आबकारी अनुभाग-2
संख्या- 2/1351 ई-2/तेरह- 2014-03 (अधि0)/2013
लखनऊ: दिनांक: 04 अगस्त 2014

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा श्री मनोज कुमार सिंह, अनुसेवक, आबकारी सचिव शाखा, उत्तर प्रदेश सचिवालय को उनके सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाता संख्या- सचिवालय चतुर्थ-3069 से गृह निर्माण के प्रयोजन हेतु रू0 45,000/- (रू0 पैंतालिस हजार मात्र) के अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति भविष्य निधि नियमावली 1985 के नियम 13 (4) एवं 14(1) में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत विशेष दशा में स्वीकृत किया जाता है।

2- कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2121 ई-2/ तेरह-2013- 03(अधि0)/ 2013 दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 द्वारा स्वीकृत धनराशि में से रू0 1,17,000/- की वसूली अभी शेष है। यह धनराशि शेष धनराशि तथा प्रस्तर-1 में स्वीकृत की गई अग्रिम की धनराशि रू0 45,000/- 1,17,000/- 1,62,000/- (रू0 एक लाख बासठ हजार मात्र) होती है की वसूली रू0 4,500/- की दर से 36 समान मासिक किश्तों में की जायेगी, जिसकी वसूली माह अगस्त के वेतन से माह सितम्बर, 2014 में देय होगा, से प्रारम्भ होगी।

3- श्री मनोज कुमार सिंह, अनुसेवक आबकारी सचिव शाखा के जी0पी0एफ0 खाता संख्या सचिवालय चतुर्थ-3069 में कुल रू0 1,97,831/- की धनराशि जमा है, जिसमें प्रतिबन्धित धनराशि सम्मिलित नहीं है।

(दीपक त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 2/1351(1) ई-2/तेरह-2014- 03(अधि0)/2013तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित:-

1- जी0पी0एफ0 प्रकोष्ठ, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- अनुभाग अधिकारी परिवहन लेखा को एक अतिरिक्त प्रति सहित ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
3- सम्बन्धित अनुसेवक, आबकारी विभाग।
4- अनुभागीय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in